न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 128 / 2022(2022 /   )

1. लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री गंगाविशन जाति मीणा निवासी ग्राम पाडलिया तहसील सावर जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार साहब सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

---- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :-

प्रार्थी वकील :- श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 28.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वार. संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम पाडलिया तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2071-75 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
138-137	814 / 675 945 / 398 946 / 398	0.40 0.01 1.80	बारानी 3 गै.मु.राह बा.द्वितीय
	कुल किता 3	कुल रकबा 2.21	

उक्त वादग्रस्त आराजीयात के सटाकर ही अन्य व्यक्तियो की आराजीयात है जो आये दिन प्रार्थी से उक्त भूमि के संबंध में सीमा विवाद करते रहते है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात व अप्रार्थीगण की उक्त आराजीयात के मध्य पूर्व में जो मेड सीमाबन्दी थी उसे धीरे-धीरे अप्रार्थीगण द्वारा नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया हटा दिया गया। तथा उक्त भूमि के चारो तरफ फसल सुरक्षा हेतु सीमन्ट के खम्भे लगाकर कंटीले तार लगाकर तारबन्दी कर रखी थी। पडोसियो ने विवाद करते हुये दिनांक 29.5.2019 को अपनी खेत की सीध मे प्रार्थी के खेत की तारबन्दी को तोडकर हटा दिया गया तथा खम्भो को तोडकर नीचे गिरा दिया तथा कहा कि मेरी सीमा आगे तक जाती है जिसके कारण आये दिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य उक्त आराजीयात के संबंध मे सीमा विवाद होते रहते है लडाई झगडा होता रहता है दिनांक 29.5.2022 को भी पडोसी एकराय होकर आराजीयात पर आये प्रार्थी की तारबंदी व खम्भे तोड दिये प्रार्थी से सीमा विवाद करने लगे। व प्रार्थी के साथ गाली गलौच कर कहा कि हम किसी सीमा रेखा को नही मानते ना ही तुम्हें उक्त खेतो के मध्य कोई डोल या मेड या तारबन्दी करने देंगे तभी से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। तथा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार सावर को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैराकार सरकार द्वारा जवाब

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम पाडलिया तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 138–137 के खसरा संख्या 814/675, 945/398, 946/398 रकबा 2.21हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner